(82)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : एम.गोपाल रेड्डी,
प्रशासकीय सदस्य

प्रकरण कमांक निगरानी–1595–दो/08 विरुद्ध आदेश दिनांक 30.09.2008 पारित द्वारा अपर आयुक्त सागर संभाग सागर प्रकरण कमांक 741/अ–27/2006–07

छक्कीलाल पुत्र श्री सुन्नी वसोट
निवासी ग्राम सरकनपुर ऊगड़, तह0 वल्वेगढ़, जिला टीकमगढ .....आवेदक

विरुद्ध

बाबूलाल पुत्र श्री सुन्नी वसोट
निवासी ग्राम सरकनपुर ऊगड़, तह0 वल्वेगढ़, जिला टीकमगढ (म.प्र) .....अनावेदक

अनावेदक की ओर से अधिवक्ता श्री सुनील सिंह जादौन

आदेश

(आज दिनांक २२/१२/१७ को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के प्रकरण कमांक 741/अ–27/2006–07 में पारित आदेश दिनांक 30.09.2008 के विरुद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जाएगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक द्वारा नायब तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.09.2004 के विरुद्ध अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में दिनांक 31.05.2006 को अपील प्रस्तुत की, जिसमें उन्होंने दिनांक 14.06.2007 को नायब तहसीलदार का आदेश निरस्त करते हुए अपील स्वीकार की। इस

आदेश के विरुद्ध आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अपील पेश की गई, जो अपर आयुक्त ने आदेश दिनांक 30.09.2008 को निरस्त की। अपर आयुक्त के इस आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है।

3/ प्रकरण में सुनवाई हेतु नियत दिनांक 6–12–17 को आवेदक/उनके अधिवक्ता को अनुपस्थित रहने के कारण न्यायहित में उन्हें 10 दिवस का समय लिखित तर्क हेतु दिया गया था परंतु उनके द्वारा आज दिनांक तक लिखित बहस पेश नहीं की गई है ।

4/ अनावेदकों की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को उचित बताते हुए निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया है ।

5/ आवेदक द्वारा निगरानी मेमो में दिए गए तर्कों एवं अनावेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त ने अपने आदेश में यह पाया गया है कि नायब तहसीलदार द्वारा समस्त कार्यवाही एक दिन में पूर्ण की गई है और अनावेदक को कोई नोटिस आदि नहीं दिया गया है । बंटवारा हेतु प्रस्तुत आवेदन में भी कोई दिनांक अंकित नहीं है । प्रकरण में वैधानिक एवं प्रक्रियात्मक त्रुटि होने के कारण अपर आयुक्त ने अनुविभागीय अधिकारी द्वारा नायब तहसीलदार के आदेश को निरस्त करने संबंधी आदेश की पुष्टि करते हुए अपील को निरस्त किया गया है। उनके आदेश की पुष्टि अभिलेख से होती है । ऐसी स्थिति में इस प्रकरण में अपर आयुक्त का जो आदेश है उसमें हस्तक्षेप का कोई आधार मैं नहीं पाता हूँ।

परिणामतः यह निगरानी आधारहीन होने से निरस्त की जाती है।

(एम. गोपाल रेड्डी)
प्रशासकीय सदस्य,
राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर